

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI-110001

No.16-1(50)/2024-CCOACR

दिनांक/Date:16.04.2025

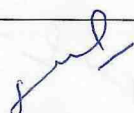
कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

विषय: गैर-तकनीकी संवर्ग हेतु SPARROW के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष 2024-25 के लिए पी.ए.आर की रिकॉर्डिंग के लिए समय अनुसूची ।
Sub: **Time Schedule for recording of PAR for Non-Technical Cadre in the SPARROW for the Reporting Year 2024-25.**

सक्षम प्रधिकारी ने वर्ष 2024-25 के लिए PAR को ऑनलाइन तैयार करने, रिकॉर्ड करने और संपूर्ण PAR प्रक्रिया पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा को मंजूरी दी है:
The Competent Authority has approved the following timelines for online generation, recording, and completion of the entire PAR Process for the year 2024-25:

S.No.	Activity	Date of submission
1.	रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी को निर्दिष्ट करते हुए पी.ए.आर नोडल अधिकारी/ पी.ए.आर सेल द्वारा रिपोर्ट किए गए अधिकारी (ओआरयू) को पी.ए.आर फॉर्म दिया जाना । PAR form to be given to the officer reported upon (ORU) by the PAR Nodal Officer/ PAR Cell, specifying the reporting officer and Reviewing Authority.	30 अप्रैल, 2025 30 th April, 2025
2.	अधिकारी (ओआरयू) द्वारा स्व मूल्यांकन रिपोर्ट को रिपोर्टिंग अधिकारी को भेजना । Submission of Self- Appraisal to Reporting officer by the officer to be reported upon.	30 मई 2025 तत्पश्चात पी.ए.आर अगले स्तर/रिपोर्टिंग प्राधिकारी को स्वतः अग्रेषित कर दिया जाएगा । 30 th May, 2025 thereafter the PAR will be Auto forwarded to the next level/ Reporting authority.
3.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को (संयुक्त सचिव प्रशासन) / वित्तीय सलाहकार एवं समीक्षा अधिकारी को अग्रेषित करना (जहां भी प्रावधान किया गया है) ।	30 जून, 2025 तत्पश्चात पी.ए.आर (संयुक्त सचिव प्रशासन) / वित्तीय सलाहकार एवं समीक्षा अधिकारी को टिप्पणी के लिए स्वतः अग्रेषित कर दिया जाएगा ।

	Forwarding of report by Reporting officer to JS/FA and Reviewing Officer (wherever provided)	30 th June, 2025 thereafter the PAR will be Auto forwarded to JS(Admin)/FA and Reviewing Officer for their comments
4.	(संयुक्त सचिव प्रशासन) / वित्तीय सलाहकार की टिप्पणियाँ. (ग्रुप ए के वरिष्ठतम अधिकारियों संबंध में) Comments of JS (Admin)/FA (in respect of Senior most officers Group A)	31 जुलाई, 2025 31 st July, 2025
5.	(संयुक्त सचिव प्रशासन) / वित्तीय सलाहकार एवं समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रशासन पी.ए.आर सेल या स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट अग्रेषित करना. (जहां भी प्रावधान किया गया है)। Forwarding of PAR by JS (Admin)/FA and Reviewing Officer to Administration/PAR Cell or the accepting authority (wherever provided)	31 अगस्त, 2025 31 st August, 2025
6.	स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहां भी प्रावधान किया गया है। Appraisal by accepting authority, wherever provided.	30 सितम्बर, 2025 30 th September, 2025
7.	(i) उस अधिकारी को पी.ए.आर का प्रकटीकरण जहां कोई स्वीकार करने वाला प्राधिकारी नहीं है। (i) Disclosure of PAR to the officer reported upon where there is no accepting authority. (ii) उस अधिकारी को पी.ए.आर का प्रकटीकरण जहां कोई स्वीकार करने वाला प्राधिकारी है। (ii) Disclosure of PAR to the officer reported upon where there is accepting authority.	01 सितम्बर, 2025 01 st September, 2025 01 अक्टूबर, 2025 01 st October, 2025
8.	पी.ए.आर पर अभ्यावेदन, यदि कोई हो, की प्राप्ति। Receipt of representation, if any, on PAR.	सूचना प्राप्ति के तारीख से 15 दिन 15 days from the date of receipt of communication.
9.	रिपोर्टिंग प्राधिकारी को अभ्यावेदन अग्रेषित करना। Forwarding of representation to the Reporting Officer. (क) जहां कोई स्वीकार करने वाला प्राधिकारी नहीं है। (a) Where there is no accepting authority. (ख) जहां कोई स्वीकार करने वाला प्राधिकारी है। (b) Where there is accepting authority.	21 सितम्बर, 2025 21 st September, 2025 16 अक्टूबर, 2025 16 th October, 2025



10.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान। Disposal of representation by Competent Authority.	अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर। Within one month from the date of receipt of representation.
11.	पी.ए.आर नोडल अधिकारी/ पी.ए.आर सेल द्वारा अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को सूचित करना। Communication of the decision of the competent authority on the representation by the PAR Nodal Officer/ PAR Cell.	25 नवम्बर, 2025 25 th November, 2025
12.	संपूर्ण पी.ए.आर प्रक्रिया की समाप्ति, जिसके बाद पी.ए.आर को अंततः रिकॉर्ड में लिया जाएगा। End of the entire PAR process, after which the PAR will be finally taken on record.	15 दिसम्बर, 2025 15 th December, 2025

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त समयसीमा का पालन करें।

All Concerned are requested to adhere to the above timelines.


 (सुनील कुमार/Sunil Kumar)
 उप सचिव / Deputy Secretary

प्रतिलिपि /Copy to:-

- 1 सीएसआईआर के सभी प्रयोगशालाओं, संस्थानों, केंद्र एवं इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
/Directors/Heads of all CSIR Labs/Instts/Centre/Units
- 2 सीएसआईआर के सभी प्रयोगशालाओं, संस्थानों, केंद्र एवं इकाइयों के वरिष्ठ प्रशासन
नियंत्रक/ प्रशासन नियंत्रक / प्रशासनिक अधिकारी /Sr CoA/CoA/AO all CSIR
Labs/instts/Centre/Units
- 3 कार्यालय, महानिदेशक, सीएसआईआर / Office of DG, CSIR
- 4 कार्यालय, संयुक्त सचिव (प्रशा.) सीएसआईआर / Office of JS (Admn.), CSIR
- 5 कार्यालय वित्तिय सलाहकार, सीएसआईआर /Office of FA, CSIR
- 6 कार्यालय, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर /Office of CVO, CSIR
- 7 कार्यालय, कानूनी सलाहकार, सीएसआईआर / Office of LA, CSIR
- 8 सभी संबंधित नोडल अधिकारी / All concerned Nodal Officers
- 9 आईटी प्रभाग- इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर वेबसाइट पर डालने के
अनुरोध के साथ / IT Division- with the request to host this OM on CSIR website
- 10 कार्यालय प्रतिलिपि / Office copy